

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक — प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0-33/2013

पटना, दिनांक — _____

प्रेषक:

प्रत्यय अमृत,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग,
बिहार, पटना।

विषय: बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0 के विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं वितरण प्रणाली के अवरोधों को दूर करने हेतु फेज-I की 935.27 करोड़ रुपये, फेज-II Part C (एरियल बंच केबल) की 271.49 करोड़ रुपये एवं ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत जिलों के गाँवों को पूर्णतः विद्युतीकरण करने की 337.72 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में विशेष सहायता (बी0आर0जी0-ऊर्जा) के तहत प्रावधानित राशि में से 270.00 करोड़ (दो सौ सत्तर करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-459 दिनांक-17.02.2016 के आलोक में बी0आर0जी0एफ0 (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0 के विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण एवं वितरण प्रणाली के अवरोधों को दूर करने हेतु फेज-I की 935.27 करोड़ रुपये, फेज-II Part C (एरियल बंच केबल) की 271.49 करोड़ रुपये एवं ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत जिलों के गाँवों को पूर्णतः विद्युतीकरण करने की 337.72 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में विशेष सहायता (बी0आर0जी0-ऊर्जा) के तहत प्रावधानित राशि में से 270.00 करोड़ (दो सौ सत्तर करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं0-10 उपशीर्ष-0113 विशेष सहायता (बी0आर0जी0-ऊर्जा) - (एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए) विपत्र कोड-P4801051900114 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
5999999000.00	450000000.00	2700000000.00	3150000000.00	2849999000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।
4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि इस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।
5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित विषय शीर्ष का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिह्नित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।
6. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, पटना को उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को किया जायेगा।
7. उपरोक्त निमित्त स्वीकृत राशि पी०एल० खाता के माध्यम से संचालित नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक- प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)क० लि०-३३/२०१३

दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक- प्र०२/बि०स्टे०पा०(हो०)क० लि०-३३/२०१३ ०९

दिनांक 18/02/2016

प्रतिलिपि:- सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा-7, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव, ऊर्जा विभाग।